BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024

IN THE MATTER OF

RAJENDRA TYAGI ...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ...RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particular	Page No.
1.	REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9	1-6
2.	**ANNEXURE 1** Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019	7-28
3.	**ANNEXURE 2** Copy of the Notification No. 1320/62-1-2019-10 GW-2014, dated 13.11.2019.	29
4.	**ANNEXURE 3** Copy of the notification no. 58/76-3-2020/10 GW/2014, dated 21.01.2020	30
5.	**ANNEXURE 4** Copy of the letter dated 11.02.2020	31-34
6.	**ANNEXURE 5** Copy of the Letter dated 25.02.2021	35-36
7.	**ANNEXURE 6** A copy of the notice dated 15.04.2025	37-43

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 1185/98 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

2 6 JUL 2025

8.	**ANNEXURE 7** A true copy of the photographs taken at the time of inspection	44-46
9.	**ANNEXURE 8** A true copy of the penalty imposed on 06 Projects against illegal ground water extraction	47-52

Respondent No.-9

(Hydrologist / Nodal Officer

Member, District Ground Water Management Council,

Gautam Buddh Nagar)

Through

Gigi C. George Advocate

Standing Counsel (UOI)

Ch. No. 457, Lawyers Block,

DHC, New Delhi

Gigicgeorge.adv42@yahoo.in

M-9810625315

Date : 27.07.2025
Place : New Delhi

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 1183/98 GOVT. OF INDIA

26 JUL 2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024

IN THE MATTER OF

RAJENDRA TYAGI ...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ...RESPONDENT(S)

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9 EXECUTIVE ENGINEER, GROUND WATER DEPARTMENT, DIVISION GAUTAM BUDDH NAGAR

I, Ankita Rai, aged about 34 years, D/O Shri Mahendra Kumar Rai working as Nodal Officer, District Ground Water Management Council, Gautam Buddh Nagar, having Office at Ansal Golf Link -2, House No. AE-18, Near Tilpata Chowk, Surajpur, Greater Noida -201306, the deponent herein do hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That I am competent to swear the present reply by way of affidavit on behalf of Respondent No. 9, and I have been authorized by the competent authority to file the present affidavit and I am aware of the facts and circumstances of the case based on the record.

2. That I have perused the contents of the above captioned O.A. and I am duly authorized to depose by way of the present affidavit.

3. That Instant Original Application no. 329/2024, titled Rajendra Tyagi Vs Union of India & Ors. has been filed by the applicant in violation of the environmental norms. Various illegal constructions of houses, shops, and

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 186/98 GOVT. OF INDIA

2 6 JUL 2025

other commercial establishments a large scale are in progress in Greater Noida and Noida.

4. That the Hon'ble Tribunal vide its order dated 02.04.2024 observed that the OA raises a substantial issue relating to compliance with the environmental norms. And issued notice to all respondents.

5. That Hon'ble Tribunal vide its order dated 09.12.2024 noted about the applicant's allegation of illegal extraction of top soil and drawl of groundwater without a No Objection Certificate (NOC) by Project Proponents.

6. That it is respectfully submitted that to protect, manage and control the ground water resources in the state. Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 has been implemented since 02 October 2019. Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019 is annexed herewith as **Annexure-1**

7. That in exercise of the powers enumerated in Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, Uttar Pradesh Ground water Management and Regulatory Authority has been established by Minor Irrigation and Ground Water section –1 vide its Notification no. 1320/62-1-2019-10 GW-2014 dated 13.11.2019. Copy of the Notification dated 13.11.2019 is annexed herewith as **Annexure-2.**

8. That in exercise of the power construed in Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, the District Ground Water Management Council for each District of the state under the chairmanship of the District Magistrate in accordance with the provisions is constituted by the Namami Gange and Rural water Supply Section-3 vide its Notification No. 58/76-3-2020/10 GW/2014 Dated 21.01.2020. Copy of the notification dated 21.01.2020 is annexed herewith as **Annexure-3**

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 11136/78 GOVT. OF INDIA

2 6 JUL 2025

9. That in compliance with the notification dated 21.01.2020, the District Ground Water Management Council was constituted in Gautam Buddh Nagar district vide letter No. 1334/ उ0प्र0भू0गा0ज0वि0-प्र0वि0अधि0-2019-20 Dated 11.02.2020 of office of the District Magistrate, Gautam Buddh Nagar. The District Ground Water Management Council constituted under the chairmanship of the District Magistrate at the district level carries out the work of registration of ground water users, issuance/renewal of no objection certificate, redressal of grievances etc. Copy of the letter dated 11.02.2020 is annexed herewith as **Annexure-4.**

10. That for the effective and transparent implementation of works like registration, issuance/renewal of no objection certificate etc. for agricultural and domestic consumers, commercial industrial, infrastructural and collective ground water users as enumerated in the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act 2019 the web portal has been developed (**upgwdonline.in**) and the District-wise nodal officers have been nominated at the district level in all the 75 districts of Uttar Pradesh for the operation of the website.

11. That for smooth functioning of the Act-2019, orders have been issued to all the districts of the state for formation of task force in compliance of the said orders by letter No. 23/यू0पी0रा0भू0ज0प्र0वि0प्रा0, dated 25.02.2021 of Director, Ground Water Department / Member Secretary, State Ground Water Management and Regulatory Authority, Uttar Pradesh, for conducting on-site verification before disposal of applications related to registration of wells and No Objection Certificate (NOC) etc. through the developed web portal (upgwdonline.in). Copy of the Letter dated 25.02.2021 issued by the Director is annexed herewith as **Annexure 5**

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 186/95 GOVT. OF INDIA

2 6 JUL 2025

12.That In compliance with the order dated 27.03.2025 issued by the Hon'ble Tribunal directed the Nodal Officer of the District Ground Water Management Council, District Gautam Buddh Nagar to prepare a departmental compliance report on behalf of Respondent No.-9 and to submit the required reply/affidavit.

13.That in response to the concerns raised by the applicant in the above-mentioned OA regarding illegal groundwater extraction, terrestrial inspections were conducted on 08.04.2025 and 15.05.2025. During the inspection on 08.04.2025, unauthorized villas/colonies located in the villages of Saini, Vaidpura, and Sunpura in Greater Noida were examined, and illegal borewells were found at various project sites. In this regard, a notice dated 15.04.2025 was issued to the concerned projects, granting a period of 15 days to furnish relevant project records and submit their explanation concerning the complaint. A copy of the notice dated 15.04.2025 is annexed herewith as **Annexure 6**

14.That on 15.05.2025, further inspection was carried out in connection with the complaint, including projects such as Samtal Enclave, Sahara Enclave, Dwarka City, and Vayu Enclave 2. It was found that in Samtal Enclave, Sahara Enclave, and Vayu Enclave, the respective builders had constructed individual platforms and built houses upon them. During the inquiry, residents of these colonies stated that there was no provision of drinking water supply by any authority or alternative source, and they relied on groundwater extracted via the borewells for drinking and domestic use. It was also found that the builders had made no arrangements for the supply of potable water in these colonies. A true copy of the photographs taken at the time of inspection are annexed herewith as **Annexure-7.**

NOTARY Sandeep Sharma Regd. No. 186/96 GOVT. OF INDIA

2 5 JUL 2025

15.That in the Dwarka City project, various builders were found to be constructing plots, flats, and apartments, and illegal borewells were observed at the site. A notice was accordingly issued to the concerned builder in this regard.

16.That upon failure to receive any response to the issued notice, and considering the borewells established at the project as unauthorized, the District Ground Water Management Council, Gautam Buddha Nagar, in exercise of its powers under Section 39(1), Chapter VIII of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, decided to impose a penalty of ₹5,00,000/- (Rupees Five Lakhs). A true copy of the penalty imposed over 06 Projects against illegal ground water extraction is annexed herewith as **Annexure-8.**

17.That it is humbly submitted that inspections revealed the presence of illegal borewells at multiple project sites, where builders had failed to provide any alternate arrangement for potable water supply, leading residents to rely solely on illegally extracted groundwater. Notices were issued to the concerned builders, seeking explanations and relevant records; however, upon non-compliance, the District Ground Water Management Council, Gautam Buddha Nagar, in exercise of powers conferred under Section 39(1) of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, imposed penalties against six such projects.

18.Furthermore, apart from the aforementioned projects, regular proceedings are also being carried out in respect of illegal groundwater extraction based on terrestrial inspections conducted at other project sites in the village Sunpura, Greater Noida.

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 186/96 GOVT. OF INDIA

2 5 JUL 2025

19. That the present Reply by way of affidavit may kindly be taken on record and into consideration, and the Hon'ble Tribunal may pass appropriate order(s), direction(s) as deemed fit and proper under the facts and circumstances of the present case.

20. That the Answering Respondent seeks leave to make additional submissions, if required, during the course of the proceedings as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

Nodal Officer
Bhugarbh jal vibhag
Khand - Gautam Buddha Nagar
AE -18, Ansal Golf Link -2, Site-C
Greater Noida, G.B.Nagar-201311

Verification

Verified at ___ on ___ July 2025 that the contents of the above reply affidavit are derived from the official records and personal knowledge and are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed therefrom

DEPONENT

Nodal Officer
Bhugarbh jal vibhag
Khand - Gautam Buddha Nagar
AE -18, Ansal Golf Link -2, Site-C
Greater Noida, G.B.Nagar-201311

NOTARY
Sandeep Sharma
Regd. No. 1136/98
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Regd. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC

26 JUL 2025

क्रम संख्या–153

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अगस्त, 2019
श्रावण 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1468/79-वि-1–19-1(क)-14-19
लखनऊ, 7 अगस्त, 2019

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 जिससे लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य के विशेष रूप से संकट ग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि भू-गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू–गर्भ जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्रोतों में कमी आ गयी है;

और चूंकि भू-गर्भ जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरूदण्ड है;

और चूंकि अतिशय भूगर्भ जल निष्कर्षण और भूगर्भ जल संदूषण के कारण गम्भीर भूगर्भ जल संकट विद्यमान है;

और चूंकि भूगर्भ जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समय की माँग है;

और चूंकि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में उक्त संकटग्रस्त क्षेत्रों की भूगर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और चूंकि भूगर्भ जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भूगर्भ जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकती है;

और चूंकि जल ऐकिक प्रकृति का होता है जिसके लिए भू-पृष्ठ जल तथा भूगर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्षा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है।

और चूंकि भूगर्भ जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप में एक सामूहिक संसाधन है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भूगर्भ जल लोक न्यास सिद्धांत को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भूगर्भ जल निजी संपत्ति अधिकार अनुपयुक्त अधिकार है जिनके कारण भूगर्भ जल की प्रास्थिति संकटमय, प्रतिकूल तथा परिवर्तनशील हो जाती है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि भूगर्भ जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबंधन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

और चूंकि भूगर्भ जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भूगर्भ जल उपयोग में साम्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढांचा (सन्नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भूगर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

एतद्द्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं;

(4) इस अधिनियम के अधीन किए गए शास्तिक उपबंध, भूगर्भ जल के घरेलू और कृषि उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे।

परिभाषाएं

2—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) **'समुचित प्राधिकरण'** का तात्पर्य 'ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति', 'विकास खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति', 'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति', और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ख) **'जलभृत'** का तात्पर्य खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा तद्समान तलछटों से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह के भूमिगत सतह से है जो पर्याप्त सरंध्र, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/प्रतिगृहीत करता है/प्रदान करता है;

(ग) **'भूजल सेना'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में भूगर्भ जल जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह से है;

(घ) **'खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति'** का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति से है;

(ङ) **'सामूहिक उपयोक्ता'** का तात्पर्य किसी अधिष्ठान यथा होटलों/लाजों/निजी आवासीय भवनों/आवासीय कालोनियों/रिजार्टों/निजी चिकित्सालयों/ परिचर्या गृहों/कारबार प्रक्षेत्रों/मॉल्स/वाटर पार्कों सहित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह से है जो अपनी क्रियात्मक जल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करते है;

(च) **'केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड'** का तात्पर्य केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनरूज्जीवन, भारत सरकार से है;

(छ) **'वाणिज्यिक उपयोक्ता'** का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था या किसी अभिकरण या किसी अधिष्ठान जो उक्त प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(ज) **'विकास प्राधिकरण'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी जिला विकास प्राधिकरण से है;

(झ) **'जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद'** का तात्पर्य, धारा 6 के अधीन गठित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ञ) **'वेधन अभिकरण'** का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न है;

(ट) **'पर्यावरणीय प्रवाह'** लोगों को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों, कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाहों की गुणवत्ता, परिमाण तथा समय निर्धारण को निर्दिष्ट करते हैं;

(ठ) **'ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति'** का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति से है;

(ड) **'भूगर्भ जल विभाग'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्भ जल विभाग से है;

(ढ) **'भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र'** का तात्पर्य इस प्रकार के किसी क्षेत्र से है जहाँ भूगर्भ जल गुणवत्ता, भूजनित या मानव जनित कारणों के फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक–रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ण) **'भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट'** खण्डों का अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्द्ध संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में श्रेणीकरण सहित भूगर्भ जल संसाधन खण्डवार निर्धारण के लिए भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भूगर्भ जल प्राक्कलन समिति की पद्धति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट को निर्दिष्ट करती है;

(त) **'भूगर्भ जल सुरक्षा योजना'** का तात्पर्य उपलब्ध जल भूगर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित किसी योजना से है और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भूगर्भीय रूप में संभाव्य है;

(थ) **'भूगर्भ जल'** का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्ही अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(द) **'उद्योग'** का तात्पर्य किसी ऐसे कारबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रियाकलाप भी हैं;

(ध) **'अवसंरचनात्मक प्रयोक्ता'** का तात्पर्य ऐसी किसी फर्म या कंपनी सहित व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रियाकलापों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(न) **'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति'** का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित नगर पालिका जल प्रबंधन समिति से है;

(प) **'अधिसूचित क्षेत्र'** का तात्पर्य धारा 9 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है जिसमें अति–दोहित, संकटमय और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है;

(फ) **'पानी पंचायत'** का तात्पर्य तालाबों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए तालाब स्तर पर गठित किसी व्यक्ति–समूह से है;

(ब) **'प्रदूषण'** का तात्पर्य भूगर्भ जल या भू–पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक, थर्मोकोल या व्यापारिक वहिःस्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भूगर्भ जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्सारण से है, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भूगर्भ जल को लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(भ) **'वर्षा जल संचयन'** का तात्पर्य भूगर्भ जल भण्डारण या उसके पुनर्भरण हेतु छत के ऊपर संचयन सहित सूक्ष्म जल विभाजक पैमाना पर वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली से है;

(म) **'ग्रामीण क्षेत्रों'** का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नही हैं;

(य) **'राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण'** का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से है;

(क क) **'नगरीय क्षेत्रों'** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो यथास्थिति किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायं, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों;

(क ख) **'भूगर्भ जल उपयोक्ता'** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता, सामूहिक उपयोक्ता, कंपनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा कूप से निकाले गये भूगर्भ जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(क ग) **'जल और स्वच्छता समिति'** का तात्पर्य जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित किसी समिति से है;

(क घ) **'जल उपयोक्ता संगम'** का तात्पर्य सिंचाई जल प्रणाली का प्रबंधन और अनुरक्षण करने के लिए नहर निकास स्तर पर गठित निर्वाचित लोगों के संगठन से है;

(क ङ) **'कूप'** का तात्पर्य भूगर्भ जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना से है और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगबेल, बोरबेल, डग कम बोरबेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भूगर्भ जल निष्कर्षण तथा भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है;

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए सम्बन्धित विधियों में क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

संस्थागत ढांचा

ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति

3–(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति का गठन किया जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन भूगर्भ जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने हेतु किसी खण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नतम लोक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति का गठन करने के लिए जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को निदेश देगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) अध्यक्ष– ग्राम प्रधान;

(ख) सदस्य सचिव– ग्राम पंचायत सचिव;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भूजल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे;

(क) समस्त स्रोतों से सूचना एकत्र करना;

(ख) धारा 13 में यथा उपबंधित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय;

खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति

4–(1) **खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति** का गठन किया जायेगा जो खण्ड स्तर पर भूगर्भ जल के समग्र प्रबंधन हेतु एक सार्वजनिक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) अध्यक्ष– खण्ड प्रमुख

(ख) सदस्य सचिव–खण्ड विकास अधिकारी(बी0डी0ओ0)

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भूजल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

(4) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) यथा प्रतिपादित/विहित मार्ग दर्शनों के अनुसार प्रत्येक कम से कम दस ग्राम पंचायतों के समूह में तैयार की गयी, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को समेकित करके एक समग्र खण्ड स्तरीय भूगर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ख) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ग) सम्बंधित खण्ड की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसाकि विहित किया जाय।

नगर पालिका जल प्रबंधन समिति

5–(1) एक नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा, जो नगरीय क्षेत्रों में एकीकृत रूप में जल प्रबंधन हेतु निम्नतम लोक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए निदेश जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) अध्यक्ष–यथास्थिति नगर प्रमुख/नगर पालिका प्रमुख;

(ख) सदस्य सचिव–यथास्थिति नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले लोक–प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) निवासी कल्याण संगम/सामाजिक समूह के दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) सम्बन्धित विभागों (भूगर्भ जल विभाग से एक प्रतिनिधि सहित) के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) नगर पालिका जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) संबंधित नगर पालिका के भीतर सम्बंधित संस्थानों के साथ समन्वय में कार्य करना;

(ख) जल आपूर्ति के स्रोतों (भू–पृष्ठ जल और भूगर्भ जल) को अवधारित करना और उन्हें एकीकृत करना;

(ग) धारा 13 के अधीन उपबंधित समग्र नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना;

(घ) सम्बंधित नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय।

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्

6—(1) एक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू—गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन करने के लिये निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) अध्यक्ष—जिला मजिस्ट्रेट;

(ख) सदस्य सचिव—जिला विकास अधिकारी;

(ग) राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का 01 सदस्य,जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ड.) अन्य सदस्य भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग के (प्रत्येक से एक) जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(च) संबंधित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में);

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगेः—

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार खण्ड पंचायत और नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजना का जिला स्तरीय भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जिला भूगर्भ जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना;

(ग) जिला भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ङ) अधिसूचित और गैर—अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करना और गैर—अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वीकृत करना तथा वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य भू—गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय या समनुदेशित किया जाय;

(छ) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप—समितियों, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका जल प्रबंधन समितियों और साथ ही साथ राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण

7—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

(2) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :—

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9.	निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम	सदस्य
12.	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (उ0क्षे0)	सदस्य
15.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16.	उत्तर प्रदेश राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)	सदस्य
17.	भूगर्भ जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
18.	संबंधित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में)	सदस्य

(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश,राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा;

(4) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(5) अध्यक्ष राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग का कार्यालय राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(6) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करना;

(ग) धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;

(घ) धारा 26 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना;

(7) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद

(क) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है, जैसाकि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य और सेवा की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी, जैसाकि विहित किया जाय;

(ग) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(8) अन्य समुचित निकायों के लिए सहायताः—

ग्राम पंचायत उप–समिति/खण्ड पंचायत/नगर पालिका समिति और जिला परिषद को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता और कार्य सुविधाओं तथा बजट सम्बंधी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

भूगर्भ जल विभाग के कर्त्तव्य

8–(1) भूगर्भ जल विभाग, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित निकाय यथा नगरीय क्षेत्रों के मामले में नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु खण्ड पंचायत भू–गर्भ जल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा;

(2) उक्त विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण हेतु प्राविधिक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(3) भूगर्भ जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण :

भूगर्भ जल विभाग,राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा भूगर्भ जल विभाग और केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू–गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहाँ भूगर्भ जल स्तरों में महत्वपूर्ण ह्रास हुआ हो अर्थात् पिछले पाँच वर्षो में प्रतिवर्ष 20 सेमी0 ह्रास अभिलिखित किया गया हो) जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से विनियमन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाना हो, में भूगर्भ जल के समग्र प्रबंधन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/ नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) भूगर्भ जल सूचना/आकड़े:—अतिदोहित संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध भूगर्भ जल सूचना/आकड़े भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय आकड़ा केन्द्रों द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों को उपलब्ध करायें जायेंगे। ऐसी सूचना भूगर्भ जल विभाग के वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय—चार

शक्तियां और कृत्य

भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ

9—(1) जहाँ (भूगर्भ जल विभाग की जानकारियों पर आधारित) सक्षम प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात राज्य भू—गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र मे और किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का प्रबंधन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/भूगर्भ जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (भूगर्भ जल विभाग द्वारा यथा अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहाँ भूगर्भ जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुँच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पद्धतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहाँ वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसाकि विहित किया जाय, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे;

परन्तु यह कि,—

(क) इस उप—धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन माह से पूर्वतर दिनांक नहीं होगा;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले अन्यून तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और उसे यथा विहित अन्य रीति से भी तामील किया जायेगा;

(2) उप—धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सीमांकन और तत्सम्बंधी अधिसूचना जारी किये जाने की प्रकिया वही होगी जैसाकि विहित किया जाय;

(3) उप—धारा—(1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की नवीन भू—गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षो के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसाकि विहित किया जाय;

अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

10—(1) विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं का पंजीकरण अधिसूचित क्षेत्रों (नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों) में अवस्थित प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बंधित जिला भू—गर्भ जल प्रबंधन परिषद् को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रकिया,समय सीमा, प्रारूप, फीस आदि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसाकि विहित किया जाय;

परन्तु यह कि,—

(क) जहां कोई विद्यमान वाणिज्यिक उपयोक्ता या सामूहिक उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय—आठ के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है वहां भूगर्भ जल के उपयोक्ता द्वारा उक्त तथ्य को तत्काल संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के संज्ञान में लाया जाएगा;

(ग) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र धारक कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता हो वहां यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तदनिमित्त राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण से यथाविहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा;

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न प्रत्येक विद्यमान और भावी भूगर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित है भूगर्भ जल उपयोग के लिए संबंधित खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति को ऑनलाइन या सीधे रजिस्ट्रीकृत करना होगा । ऑनलाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के संबंध में सूचना उक्त समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

11—(1) गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप (विद्यमान या सिंक किया जाने वाला) भूगर्भ जल उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, समय—सीमा, प्रारूप, फीस इत्यादि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसा कि विहित किया जाए;

परन्तु यह कि,—

(क) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय 8 के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो भूगर्भ जल उपयोक्ता द्वारा तत्काल इस तथ्य को सम्बंधित जिलों के भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता, किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता है तो यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तदनिमित्त सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से यथा विहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न घरेलू या कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू—गर्भ जल उपयोक्ता को आन लाइन या सीधे सम्बंधित खण्ड पंचायत भू—गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति से भू—गर्भ जल उपयोगों हेतु रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। आन लाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के सम्बंध में उक्त समिति द्वारा सूचित किया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध

12—(1) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सरकारी पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय सरकारी योजनाओं के अधीन बोरिंग/नलकूप निर्माण सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोग हेतु कोई नवीन कूप निर्मित/सिंक नहीं करेगा।

यदि कोई इस उपधारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता/करती है तो वह अध्याय 8 के अधीन दण्ड का भागी होगा/होगी।

ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा नवीन भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट के आधार पर या नगरीय भूगर्भ जल स्तरों में गिरावट होने की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण सुधार होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है;

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक/सामूहिक उपयोगों के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था या अभिकरणों द्वारा अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/अनभिक्रियित भूगर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और ऐसा कार्य किया जाना अध्याय—आठ के अधीन दण्डनीय होगा।

13—अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाएँ क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएँगी। अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन

14—गैर अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोग के लिए भूगर्भ जल निकालने के प्रयोजनार्थ कोई कूप खोदने के इच्छुक किसी व्यक्ति या व्यक्ति—वर्ग या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान को इस प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रकिया,समय—सीमा, प्रारूप,आवेदन, फीस इत्यादि और विभिन्न उपबन्ध, निबन्धन और शर्ते वही होंगी जैसाकि विहित किया जाय; गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना

परन्तु यह कि भूगर्भ जल के पूर्व से विद्यमान उपयोक्ता को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर तद्निमित्त इस धारा के अधीन प्राधिकार प्रमाण—पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करना होगा;

परन्तु यह और कि,—

(क) निबंधन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु वे निम्नलिखित तक निर्बन्धित नहीं होंगे;

(एक) जल की अधिकतम मात्रा जिसे निकालने की अनुज्ञा होगी;

(दो) विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण मानकों और उपायों के माध्यम से भूगर्भ जल संदूषण निवारण की सावधानियां;

(तीन) अपनाये जाने वाले वर्षा जल संचयन सहित संरक्षण उपायों का विवरण;

(चार) भूगर्भीय जल सभाव्यता के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण के उपाय;

(पॉच) उपयोगार्थ निकाले गये भूगर्भ जल का किसी विहित अनुपात में पुनः उपयोग करना;

(छः) अपशिष्ट जल को बहाने से पूर्व उसे विहित मानकों तक लाने के लिए उसका शोधन करना;

(सात) सर्वाधिक दक्ष जल उपयोग पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा उसके अनुसार चलना;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रदान किये गये प्राधिकार/ अनापत्ति का प्रयोग, प्रदान किये गये प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा;

(ग) प्राधिकार प्रमाण—पत्र/अनापत्ति प्रमाण—पत्र धारक को, प्राधिकार के अधीन निकाले गये भूगर्भ जल का वाणिज्यिक प्रयोग और/या लाभ के लिए, किसी अन्य को किसी भी नाम से या प्रारूप में विकय करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा;

(घ) वांछित प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने हेतु प्राधिकार प्रमाण—पत्र/अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे नये उपयोक्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कूप का निर्माण कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् यथाविधि विहित रीति से सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा;

(ङ) (एक) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण—पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण—पत्र रद्द कर सकती है;

परन्तु यह कि सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार प्रमाण—पत्र/अनापत्ति प्रमाण—पत्र धारक को उक्त प्रमाण—पत्र रद्द करने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी;

(दो) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र असंक्राम्य होगा। तथापि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया ऐसा प्रमाण–पत्र, उसका/उसकी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जायेगा और उक्त प्रमाण–पत्र शेष अवधि के लिए तब तक निरन्तर विधिमान्य रहेगा जब तक कि विधिक उत्तराधिकारी ऐसे मृत प्रमाण–पत्र धारक द्वारा कृत किया–कलापों को जारी रखते हैं। तथापि ऐसी प्रसुविधा जिसके लिए उक्त प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया था, के लिए सम्पत्ति का अन्तरण किये जाने पर प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि नये स्वामी द्वारा किया–कलाप की प्रकृति अपरिवर्तित रूप में जारी रखी जाती है।

(तीन) प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्रमाण–पत्र में नियत अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा;

(चार) जहाँ प्राधिकार प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो गयी हो वहाँ ऐसे प्रमाण–पत्र धारक को तत्सम्बंधी निरन्तरता के लिए नये सिरे से आवेदन करना होगा।

वाणिज्यिक, औद्योगिक अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भूगर्भ जल निकालने की सीमा नियत किया जाना

15–(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, भूगर्भ जल विभाग के परामर्श से (सम्बंधित क्षेत्र के भूगर्भ जलीय शर्तो तथा संसाधन संभाव्यता पर आधारित) अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण जारी करने के दौरान विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के दौरान समस्त नवीन वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भूगर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करके भूगर्भ जल नहीं निकाल सकता है।

भूगर्भ जल निकालने/खींचने पर फीस

16–(1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोक्ता कहा गया है, भूगर्भ जल खींचने की मात्रा के आधार पर वार्षिक रूप में प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का भुगतान किये बिना दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल नहीं निकालेगा। फीस यथाविहित रूप में जमा की जायेगी;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त होगी।

(3) निकाले गये भूगर्भ जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोक्ता को ऐसे मानको का मीटर ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसाकि विहित किया जाय और यह मान लिया जायेगा कि मीटर द्वारा अभिलिखित की गयी मात्रा में उक्त उपयोक्ता द्वारा भूगर्भ जल निकासी की गयी है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय। निकालने हेतु अनुज्ञात/प्राधिकृत भूगर्भ जल की मात्रा के सापेक्ष वास्तविक रूप में निकाले गये जल की जाँच करने हेतु एक वार्षिक भूगर्भ जल लेखा परीक्षा संचालित की जायेगी।

बेधन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण

17–(1) सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमें लगेगा।

(2) भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि बेधन में पहले से ही लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, अभिकरण या कंपनी को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करना होगा जैसाकि उक्त परिषद द्वारा अपेक्षा की जाय।

किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता के लिए अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण की शक्तियाँ

18—अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकरण की शक्ति वही होगी जैसाकि विहित की जाय।

आदेशों आदि का तामील किया जाना

19—धारा 14 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाय।

प्रतिकर दावा करने पर प्रतिबंध

20—किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए राज्य सरकार या किसी समुचित प्राधिकरण से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन

21—राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या उसके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों में से समस्त शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग/समस्त कर्तव्यों/किसी कर्तव्य का निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो में जैसाकि उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस निमित्त राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति तथा समुचित निकाय द्वारा भी किया जा सकता है।

प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे

22—राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के सापेक्ष सुरक्षा

23—इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित प्राधिकरण, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित प्राधिकरण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

अध्याय—पांच

भूगर्भ जल का प्रदूषण—निवारण

भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षेत्रों का सीमांकन तथा संरक्षण

24—(1) भूगर्भ जल विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद और विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, जिनकी भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने और पेयजल आपूर्ति हेतु सुरक्षित गुणवत्तापरक परिक्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल की गुणवत्ता खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित पायी गयी है, की (ऊर्ध्व एवं पार्श्व रूप में) पहचान एवं सीमांकन करेगा;

(2) उपधारा (1) में यथा सीमांकित क्षेत्र, भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सरकार के भूगर्भ जल विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

भूगर्भ जल प्रदूषण/संदूषण से सम्बंधित सूचना संग्रहण

25—ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समितियाँ, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियाँ और नगरपालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समितियाँ प्रदूषण स्रोतों सहित भूगर्भ जल प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ऐसी सूचना सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के स्तर पर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रतर प्रस्तुत किये जाने के लिए संकलित तथा समेकित की जायेगी।

भूगर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

26—(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता भूगर्भ जल प्रदूषित नहीं करेगा। वह सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से जहां कहीं आवश्यक हो यथा विहित रूप में अनिवार्य रूप से शोधन संयत्र स्थापित कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा भूगर्भ जल उपयोक्ता, विहित अवधि के भीतर शोधन संयत्र स्थापित करने में विफल हो जाय वहां राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपयोक्ता के लागत पर आवश्यक शोधन संयत्र निर्मित करवाये और धारा 39 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन ऐसे उपयोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही करें।

जल–भृतों में प्रदूषक पदार्थों आदि का निस्तारण करने हेतु कूप के उपयोग पर प्रतिषेध

27—(1) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता, किसी संक्रिया या प्रसंस्करण या शोधन तथा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से—

(क) अपशिष्ट जल, मल, व्यापारिक तथा घरेलू वहिःस्राव या संदूषक पदार्थों का निस्सारण या निस्तारण कूप में नहीं करेगा या;

(ख) भूमि पर अपशिष्ट का ढेर नहीं लगायेगा जो घुलकर जलभृत में बह सकता है, या जिसके कारण संदूषक पदार्थ चूकर उसमें फैल सकते हैं तथा उसमें विषैले जीव उत्पन्न हो सकते हैं;

(2) उपधारा (1) के उपबंध का उलंघन करने वाला कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

खुले क्षेत्रों से जलभृतों में सीधे पुनर्भरण पर प्रतिबंध

28—(1) खुली भूमि, मैदान, सड़कों (पक्की/कच्ची) कृषि फार्मों पर गिरने वाले (छत के ऊपर के सिवाय) वर्षा जल से भूगर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण किए जाने की प्रक्रिया में जलभृतों में पुनर्भरण, बोरवेल, पुनर्भरण कूपक अन्तःक्षेपण कूप आदि के माध्यम से सीधे पुनर्भरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

उप धारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा।

तालाबों, नदियों, कूपों आदि के प्रदूषण पर प्रतिषेध

29—(1) समुचित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता, दूषित जल या किसी अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ का निस्सारण या निस्तारण करके तालाबों, नदियों, कूपों आदि को प्रदूषित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के ऐसे समस्त उपाय करने होंगे कि घरेलू गृहस्थी के किसी अपशिष्ट से तालाब, नदियाँ, कूप आदि प्रदूषित न हों।

अध्याय— छः

स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल पुनर्भरण, पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग और जल भराव निवारण

स्वतः विनियमन

30—(1) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक स्वतः विनियमन की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समितियों और खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) स्वतः विनियमन ग्रहण करने की प्रक्रिया :-

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने तथा उन्हें विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रीति से स्वतः विनियमन की प्रक्रिया ग्रहण की जाएगी:-

(क) कृषक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न फसलों हेतु वैज्ञानिक रूप से संस्तुत सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सिंचाई जल मात्रा/फसल सिंचाई संख्या का प्रयोग करते हुए भूगर्भ जल दुर्व्ययन तथा अति सिंचन से बचा जा सकता है;

(ख) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक कृषि बंधों, कृषि तालाबों, अल्प जल फसल बीजों के प्रयोग और प्रक्षेप तथा फुहारा सिंचाई प्रणाली के प्रयोग सहित विभिन्न जल संरक्षण/जल बचत पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जाएंगे;

(ग) दोनों ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भूगर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल दुर्व्यय को रोकने, पुनः उपयोग किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल पुनर्भरण तथा जलागम संरक्षण

31-(1) समुचित प्राधिकरण, भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए। समुचित प्राधिकरण, संकटग्रस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में विभिन्न भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को संवेदनशील बनाएंगे। भूगर्भ जल उपयोक्ता समुचित प्राधिकरणों से वर्षा जल-संचयन प्रणाली का उपयुक्त प्राविधिक रेखा चित्र तथा अभिकल्प प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विकास परख योजनाओं तथा परियोजनाओं से संबंधित समस्त प्राकृतिक संसाधनों के एकीकरण तथा उनमें परिवर्तन के माध्यम से अपनी अधिकारिता के भीतर वर्षा जल-संसाधनों के संवर्धन हेतु एकीकृत प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, उपयोग तथा विनियमन के लिए समस्त संभावित कदम उठाने होंगे।

(2) तत्समय प्रवृत्त राज्य की अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नगर पालिका जल प्रबंधन समिति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सम्यक रूप से जारी छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उपबंध करने की विद्यमान भवन उप विधियों के अधीन निर्धारित शर्ते अधिरोपित करेंगी। ऐसे निर्धारण, भवन योजनाएँ अनुमोदित करने वाले या स्वीकृत करने वाले संबंधित सरकारी अभिकरणों पर बाध्यकारी होंगे। सामूहिक आवास/ कॉलोनियों हेतु सम्मिलित पुनर्भरण प्रणाली का उपबंध किया जाना भी भवन उप विधियों के अधीन अनिवार्य होगा।

(3) जलागम संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र के भू-भाग/मिट्टी की दशा की प्रकृति पर आधारित समुचित भूगर्भ जल संरक्षण तथा पुनर्भरण संरचनाएं सम्मिलित हैं।

भूगर्भ जल का पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग

32-समुचित प्राधिकरण अपने क्षेत्रों के अंतर्गत अपेय नगरीय औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग हेतु और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से पुनः प्रयोग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु जल का पुनः उपयोग किए जाने तथा विशिष्ट रूप से पोषणीय जल का पुनः प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे;

परंतु यह कि अवधारित सीमा से अधिक भूगर्भ जल निकालने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता को ऐसे प्रयोजनों, जो उपयुक्त हों, के लिए जल का पुनः उपयोग करने के लिए आदेशित किया जाएगा। समुचित प्राधिकरण ऐसे आदेशों को प्रवर्तित करने के लिए अनुश्रवणकारी तथा प्रोत्साहनकारी तंत्र अभिकल्पित करेंगे।

जल भराव निवारण तथा न्यूनकरण

33–(1) समुचित प्राधिकरण, अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलापों को हतोत्साहित तथा उनकी रोकथाम करेंगे जिनके कारण भू–जलभराव होना संभाव्य हो। ऐसे निकाय जलभराव के विरुद्ध भू–संरक्षण हेतु समस्त संभावित नियामक उपाय करेंगे;

(2) नहर समादेशों में सिंचाई विभाग को उप–भू–पृष्ठ जलप्लावित स्थितियों में प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए समुचित उपाय करना होगा तथा उपबंध करना होगा;

(3) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उपसमिति, खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति जलप्लावित क्षेत्रों में ऐसे क्रिया–कलापों, जिनके कारण जलभराव की स्थिति बिगड़ सकती है, का विनियमन करने के लिए ऐसी नियम/शर्तें अधिरोपित कर सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए। खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों तथा संबंधित विभागों के परामर्श से भू–शोधन तथा भू–जल निकास से संबंधित समुचित मध्यक्षेपों के माध्यम से यथा विहित रीति से जलभराव को कम करने का उपाय करेगी;

(4) जलभराव न्यूनकरण के उपाय, विशेषज्ञ निकायों/संबंधित विभागों के सम्यक परामर्श से समुचित प्रसंस्करणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे।

नदियों, तालाबों, कूपों आदि का पुनरूज्जीवन और जीर्णोद्धार

34–समुचित प्राधिकरणों को प्रत्येक ग्राम में नदियों, तालाबों, कूपों आदि के पुनरूज्जीवन और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करना होगा। समुचित प्राधिकरणों को ऐसी नदियों, तालाबों, कूपों आदि को संरक्षित करने हेतु दक्ष योजनाओं को विकसित और कियान्वित करना होगा।

अध्याय–सात

प्रभावपूर्ण निर्धारण तथा पारदर्शिता

प्रभावपूर्ण निर्धारण

35–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित प्राधिकरणों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रियाकलापों के दोनों सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं का प्रभावपूर्ण निर्धारण करने का उपक्रम करें;

(2) प्रभावपूर्ण निर्धारण की प्रक्रिया में अल्पकालिक तथा संचयी प्रभावपूर्ण निर्धारण सम्मिलित होगा जो विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है:–

(क) जीवन जलाधिकार पर प्रभाव;

(ख) पेय जल संसाधनों पर प्रभाव;

(ग) भूगर्भ जल गुणवत्ता तथा परिमाण पर प्रभाव;

(घ) कृषि उत्पादन पर प्रभाव;

(ङ) नदियों तथा जल पिंडों सहित पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव;

(च) भू–उपयोग पर प्रभाव;

पारदर्शिता प्रणाली

36–(1) समुचित प्राधिकरणों का अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत यह कर्तव्य होगा कि वे नागरिकों के साथ प्रभावी तथा मित्रतापूर्ण पारदर्शिता स्थापित करें;

(2) सूचना की न्यूनतम विषयवस्तु, आवर्तन तथा अन्य विवरण सतर्कतापूर्वक प्रस्तुत किए जाएंगे;

(3) किसी जिला के भीतर सूचना हेतु समस्त अनुरोधों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

सतर्क प्रकटीकरण से सम्बन्धित कर्त्तव्य

37–(1) समुचित प्राधिकरण अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के संबंध में सतर्कतापूर्वक सूचना का प्रकटीकरण करेंगे;

(2) समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिलेखों का प्रसार इस रीति से करें कि कोई भी व्यक्ति सूचना को सुगमतापूर्वक समझ सके। इस दायित्व में सूचना का समेकित तथा संक्षिप्त रूप में प्रसार करना भी सम्मिलित है।

सूचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी

38—इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन ग्रहीत क्रियाकलापों का प्रभावपूर्ण निर्धारण किए जाने पर तत्संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

अध्याय—आठ

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां

39—(1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता या कोई वेधन अभिकरण—

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के किसी उपबंध, अध्याय पांच में वर्णित उपबंधों के सिवाय का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित प्राधिकरणों या राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रूपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास, जो छःमाह से कम नहीं होगा और जो एक वर्ष तक हो सकता है, के साथ या प्रथम अपराध के मामले में दोनों के साथ दंडित किया जाएगा;

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात पुनः उक्त अपराध करता है तो ऐसा उपयोक्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो उक्त उपखण्ड के अधीन उसे अधिनिर्णीत किए गए कारावास के अतिरिक्त, उसे अधिनिर्णीत किए गए जुर्माने की धनराशि का दोगुना होगा, के साथ दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन उसे स्वीकृत किया गया प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

(2) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2), धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के अधीन उपबंधित किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, निम्नलिखित दण्ड का भागी होगा:—

(क) ऐसी अवधि का कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो पांच लाख रूपये से कम नहीं होगा किंतु जो प्रथम अपराध के मामले में दस लाख रुपए तक हो सकता है;

(ख) ऐसी अवधि का कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो बीस लाख रुपए तक हो सकता है, यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट उक्त अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो पहले ही उक्त अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो;

(3) कोई जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल हो, ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रूपये तक हो सकता है, के साथ दण्डित किया जाएगा;

(4) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी रेखा चित्र अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु उत्तरदायी हो ऐसा करने में विफल हो तो वह ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड के साथ दण्डित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

कंपनियों द्वारा अपराध

40-(1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ हो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :–

(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी, का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अंतर्गत कोई फर्म या अन्य संगम या व्यक्ति भी है और

(2) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

अपराधों का प्रशमन

41-(1) धारा (39) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, ऐसे अधिकारियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिए विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात, किया जा सकता है;

परंतु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन किसी अपराध का प्रशमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा;

(3) किसी अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जहां किसी अपराध के प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां ऐसे अपराधी, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध प्रशमित किया जाय, के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग नहीं संस्थित किया जाएगा;

(5) जहां किसी अपराध का प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसा प्रशमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें अभियोग लम्बित हो और अपराध प्रशमन का इस प्रकार संज्ञान लिए जाने पर उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया जाय, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान

42-(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे और किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे;

(2) जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद या किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई किसी शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है;

परन्तु यह की अभियोग का पहल करने के पूर्व क्षुब्ध व्यक्ति को अभियोग का पहल करने के लिए अपने आशय से अवगत कराते हुए जिला भू–गर्भ जल प्रबंधन परिषद को एक माह की नोटिस देनी होगी।

अध्याय–नौ

शिकायत निवारण

भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी

43–(1) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(2) कोई भी व्यक्ति भूगर्भ जल के प्रबंधन, संरक्षण, निष्कर्षण और प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर अपना/अपनी शिकायत, जिला भू–गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपना/अपनी शिकायत राज्य भू–गर्भ जल प्रबंधन तथा विनियमन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है।

भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी की अधिकारिता और उसकी शक्तियां

44–(1) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 41 की उप धारा (2) में उल्लिखित समस्त शिकायतों की अधिकारिता होगी;

(2) शिकायतें, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष यथाविहित रीति से प्रस्तुत की जाएगी;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, किसी अनुवर्ती समय जो तीस दिन से अधिक नहीं होगा, में शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति/खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति या जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित कार्रवाही करेगा;

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

समुचित प्राधिकरणों से सूचना मांगने की शक्ति

45–राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषदों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली तथा उप-विधियों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा/होगी।

अधिनियम का उल्लंघन करके खोदे गये कूपों को हटाने की समुचित प्राधिकरणों की शक्तियां

46–(1) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद इस अधिनियम के उपबंध के अध्यधीन किसी ऐसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता और किसी विद्यमान अभिकरण जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके कूप सिंक किया हो या कर रहा हो या जिसने जल निकाला हो या निकाल रहा हो से लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट अन्यून पन्द्रह दिन की समयावधि के अंतर्गत इस प्रकार जल का निकाला जाना बंद करे और कब्जाधीन कूप के स्वामी या व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह कूप को अपने व्यय पर और ऐसी रीति से जैसा कि उक्त परिषद ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, उसको बंद या मुहर बंद कर दे;

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई हो नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार कूप खुदाई बंद नहीं करता है या बंद करता है किंतु समुचित प्राधिकरण के समाधान प्रद रूप में कूप बंद या मुहरबंद नहीं करता है तो (सम्बंधित) परिषद भूमि में प्रवेश करके उक्त कूप को बंद या मुहरबंद कर सकती है;

(3) उपधारा (2) के अधीन (सम्बंधित) परिषद द्वारा उपगत लागत की वसूली, उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए गए व्यक्ति से, भू-राजस्व बकाया के रूप में की जा सकती है।

पूर्व विद्यमान अधिकार

47-(1) भू-गर्भ जल उपयोक्ता के पूर्व-विद्यमान अधिकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे;

(2) भूगर्भ जल उपयोक्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भूगर्भ जल निधि

48-राज्य सरकार, भू-गर्भ जल निधि नामक एक निधि सृजित करेगी और शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा भूगर्भ जल निकालने की फीस आदि की समस्त लेखा-प्राप्तियाँ, इस निधि में जमा की जाएगी। निधि का संचालन निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा। निधि का उपयोग, राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन क्रिया-कलापों यथा भू-गर्भ जल संरक्षण के लिए मांग पक्ष के मध्यक्षेपों को प्रोत्साहित करने हेतु और राज्य सरकार तथा भूगर्भ जल विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए प्रभावी अनुश्रवण युक्तियों/तंत्रों द्वारा भूगर्भ जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने हेतु दोनों मांग पक्ष तथा आपूर्ति पक्ष के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

49-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

50-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

किसी उपयोक्ता/वादों को छूट प्रदान करने की राज्य सरकार की शक्तियां

51-राज्य के समग्र विकास के हित में राज्य सरकार, राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता वर्ग या वाद को इस अधिनियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

अन्य विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव

52-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

उद्देश्य और कारण

भूगर्भ जल घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल का एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और आजीविका का प्रधान आधार है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि भूगर्भ जल के अनियन्त्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप राज्य के अनेक क्षेत्रों में भूगर्भ जल के स्तरों में गिरावट और भूगर्भ जल जलाशयों में ह्रास होने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

राज्य में गम्भीर भूगर्भ जल संकट और भूगर्भ जल संदूषण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भूगर्भ जल का अविरत प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु भूगर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

क्रम-संख्या–216(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019

कार्तिक 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1

संख्या 1320/62-1–2019-10 जीडब्लू-2014

लखनऊ, 13 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ0–344

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से राज्य में एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसे 'उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण' के रूप में जाना जायेगा।

आज्ञा से,
अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1320/LXII-1–2019-10gw-2014, dated November 13, 2019 :

No. 1320/LXII-1–2019-10gw-2014

Dated Lcknow, November 13, 2019

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to establish an authority in the State to be known as the 'Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority' with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,
ANITA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 379 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(998)–599 प्रतियां–(क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 लघु सिंचाई–2019–(999)–1,000 प्रतियां–(क0/टी0/ऑफसेट)।

379 RPH Sinchai Anubhag-1, 2019 Data 4e

Annexure 3

1235

क्रम-संख्या—19

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020

माघ 1, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—3

संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014

लखनऊ, 21 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प० आ०—19

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण को उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 58/76-3-2020/10gw/2014, Lucknow dated January 21, 2020 :

No. 58/76-3-2020/10gw/2014

Dated Lucknow, January 21, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the State Ground Water Management and Regulatory Authority to constitute the District Ground Water Management Council for each district of the State consisting of the Chairperson and members in accordance with the provisions of the said section.

By order,

ANURAG SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–575–राजपत्र (हि०)–(1399)–2020–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–4 सा० भूगर्भ जल–(1400)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण,

(अधिसूचना संख्या 1320/62–1–2019–10 जी0डब्लू0/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के द्वारा गठित)

संख्या /यूपीराभूजप्रविप्रा

लखनऊः दिनांक : 05 जून, 2020

–: कार्यालय ज्ञाप :–

अधिसूचना संख्या 58/76–3–2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 06 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में एतद्द्वारा "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	जिला मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य में भूगर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले एक विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
3.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक व्यक्ति।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (यथास्थिति)।	सदस्य
10.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग।	सदस्य
12.	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
13.	प्रभागीय वनाधिकारी।	सदस्य
14.	जिला उद्यान अधिकारी।	सदस्य
15.	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य/सचिव

1236

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त नगर पालिका, भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति तथा खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति से एक–एक सदस्य परिषद् के आमंत्रित सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाएंगे। "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" के क्रम संख्या 02, एवम् 03 पर नामित सदस्यों की सेवा एवम् शर्तें, इत्यादि उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 के अध्याय–2 के अनुसार होगी।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष

पत्रांकः 01 /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

1237

पत्रांकः /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद के सक्षम अधिकारी को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन नामित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

/

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

आदेश

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सख्या 1075/62–1–2019–10 जी. डब्लू/2014 दिनांक 20–09–2019 के द्वारा उ0प्र0 भू–गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के क्रम में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 के पत्र संख्या 58/76–3–2020/10जी0डब्लू/2014 लखनऊ दिनांक 21–01–2020 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में जनपद में भूगर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियन्त्रण तथा विनियमन हेतु एक "**जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद**" का गठन एतद्द्वारा निम्नवत किया जाता है।

1. जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. जिला विकास अधिकारी	सदस्य–सचिव
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा द्वारा नामित	सदस्य
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा नामित	सदस्य
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा नामित	सदस्य
6. प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग	सदस्य
8. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा/ग्रे0नोएडा	सदस्य
9. उप निदेशक कृषि	सदस्य
10. अधिशासी अभियन्ता जल निगम	सदस्य
11. अधिशासी अभियन्ता सिचाई/जल संसाधन विभाग	सदस्य
12. उपायुक्त, जिला उधोग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंन्द्र	सदस्य
13. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
14. सहायक अभियन्ता लघु सिचाई विभाग	सदस्य
15. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
16. श्री चन्द्रमोहन त्यागी, पर्यावरणविद्, गौतमबुद्धनगर	सदस्य
17. ह्यूमन टच फाऊडेशन,(गैर–लाभकारी संगठन)	सदस्य

(बी.एन. सिह)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय **जिलाधिकारी** **गौतमबुद्धनगर**

पत्रांक 1334/उ0प्र0भू0ग0ज0–प्र0वि0अधि0–2019–20/ दिनांक 11/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने स्तर से अधीनस्थ कार्मिक को उक्त परिषद में सदस्य नामित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने स्तर से अधीनस्थ कार्मिक को उक्त परिषद में सदस्य नामित करने का कष्ट करें।

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने स्तर से अधीनस्थ कार्मिक को उक्त परिषद में सदस्य नामित करने का कष्ट करें।
4. जिला विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति,खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति एवं नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति के गठन की कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराएं
5. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
7. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा/ग्रे0 नोएडा – सदस्य
8. उप निदेशक कृषि, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता जल निगम, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
10. अधिशासी अभियन्ता सिचाई/जल संसाधन विभाग, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
11. उपायुक्त, जिला उधोग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
12. जिला उद्यान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
13. सहायक अभियन्ता लघु सिचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
14. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/समस्त नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर – सदस्य
15. श्री चन्द्रमोहन त्यागी, पर्यावरणविद्, ए0–जी0 103 जे0 अंशल गोल्फलिंक 1 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर – सदस्य
16. ह्यूमन टच फाऊडेशन (गैर–लाभकारी संगठन), एच–607 एल्फा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर – सदस्य

जिलाधिकारी
O/c गौतमबुद्धनगर

प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव,
राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0,
9वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 23 /यूपीराभूजप्रविप्रा, लखनऊः दिनांकः फरवरी 25, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन करने हेतु टास्क फोर्स के गठन एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिनियम के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आन-लाइन वेब पोर्टल (upgwdonline.in) भी विकसित किया है, जिसके संचालन के लिए आपके जनपद में उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, के द्वारा लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त वेब-पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कतिपय शर्तो यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, इफलुमेन्ट प्लान्ट (Effluent treatment plant) (उद्योग हेतु), फ्लोमीटर, बोर की साइज, पम्प का प्रकार एवम् क्षमता इत्यादि की आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन हेतु आपके जनपद में निम्नानुसार सदस्यो की समिति/टास्क फोर्स का गठन किया जाता है:-

1. नामित नोडल अधिकारी।
2. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग/भूगर्भ जल विभाग (यदि नोडल अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के नामित हैं तो भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी सदस्य होगें। यदि नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग के नामित हैं तो लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी सदस्य होगें)।

3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. उप आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
6. सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी आवश्यकतानुसार।

सूचनीय है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति निर्गमन एवम् पंजीयन सेवाएं जनहित गारण्टी अधिनियम से अच्छादित है। अतएव आवेदन पत्रों के प्राप्त होने से निस्तारण तक की अवधि के समस्त कार्य 30 दिवस के अन्दर किया जाना अनिवार्य है।

अतः जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को निस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार टास्क फोर्स को निर्देशित करते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य सचिव
राज्य जल प्रबन्धन और नियामक
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अनुसचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त नोडल अधिकारी, वेब–पोर्टल।

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य सचिव
राज्य जल प्रबन्धन और नियामक
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

1242

कार्यालय अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT

Annexure 6

ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस संख्या– 10 /भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/ गौतमबुद्धनगर दिनांक 15/04/2025

विषयः– अवैध परियोजनाओं द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूजल दोहन किये जाने के सम्बधं में।

स्थान– सत्या विला, निकट शीशपाल नागर फार्म हाउस, वेदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा , संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है।

शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27,28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु अनाधिकृत रूप से दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति समूह संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किए गए हैं।

सत्या विला, निकट शीशपाल नागर फार्म हाउस, वेदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर परियोजना **का दिनांक 07–04–2025 को औचक निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर 06 बोरवेल स्थापित पाये गए।** यदि परियोजना को जल निर्ष्कषण की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 15 दिवस के अन्दर कार्यलय की **Email Id- ankurai3005@gmail.com** पर प्रेषित करें। अन्यथा इसे जल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः–10 /भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।

3–निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ के संज्ञानार्थ।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT

ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस संख्या– 11 / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/ गौतमबुद्धनगर दिनांक 15/04/2025

विषयः– अवैध परियोजनाओं द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूजल दोहन किये जाने के सम्बधं में।

स्थान– कृष्णा अर्चिड विला, ग्राम -वेदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा , संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है।

शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27,28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु अनाधिकृत रूप से दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति समूह संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किए गए हैं।

इस क्रम में कृष्णा अर्चिड विला, ग्राम -वेदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर परियोजना **का दिनांक 07–04–2025 को औचक निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर 09 बोरवेल स्थापित पाये गए।** यदि परियोजना को जल निर्ष्कषण की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 15 दिवस के अन्दर कार्यलय की **Email Id- ankurai3005@gmail.com** पर प्रेषित करें। अन्यथा इसे जल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– 11 / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।

3–निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ के संज्ञानार्थ।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

1244

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT
ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस संख्या– 14 / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/ गौतमबुद्धनगर दिनांक 15-04-2025

विषयः– अवैध परियोजनाओं द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूजल दोहन किये जाने के सम्बधं में।

स्थान– अर्श ग्रीन विला, ग्राम - वैदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर |

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा , संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है।

शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27,28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु अनाधिकृत रूप से दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति समूह संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किए गए हैं।

इस क्रम में अर्श ग्रीन विला, ग्राम - वैदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर परियोजना **का दिनांक 07–04–2025 को औचक निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर 04 बोरवेल स्थापित पाये गए।** यदि परियोजना को जल निर्ष्कषण की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 15 दिवस के अन्दर कार्यलय की **Email Id-** **ankurai3005@gmail.com** पर प्रेषित करें। अन्यथा इसे जल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।
3–निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ के संज्ञानार्थ।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

1245

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT

ए०ई०–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे० नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस संख्या– 16 / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/ गौतमबुद्धनगर दिनांक 15-04-2025

विषयः– अवैध परियोजनाओं द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूजल दोहन किये जाने के सम्बधं में।

स्थान– क्रीमसन विलास,सामने महागुण मंत्रा, ग्राम - वैदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा , संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है।

शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27,28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु अनाधिकृत रूप से दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति समूह संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किए गए हैं।

इस क्रम में क्रीमसन विलास,सामने महागुण मंत्रा, ग्राम - वैदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर परियोजना **का दिनांक 07–04–2025 को औचक निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर 03 बोरवेल स्थापित पाये गए।** यदि परियोजना को जल निर्ष्कषण की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 15 दिवस के अन्दर कार्यलय की **Email Id-** <u>**ankurai3005@gmail.com**</u> पर प्रेषित करें। अन्यथा इसे जल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।

3–निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ के संज्ञानार्थ।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।

1246

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT

ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस संख्या– 17 / भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/ गौतमबुद्धनगर दिनांक 15-04-2025

विषयः– अवैध परियोजनाओं द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूजल दोहन किये जाने के सम्बधं में।

स्थान– सिंधुजा ग्रीन्स विला, ग्राम - वैदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर |

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा , संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है।

शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27,28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु अनाधिकृत रूप से दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति समूह संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किए गए हैं।

इस क्रम में सिंधुजा ग्रीन्स विला, ग्राम - वैदपूरा, सैक्टर-10, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर परियोजना का **दिनांक 07–04–2025 को औचक निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर 05 बोरवेल स्थापित पाये गए**। यदि परियोजना को जल निर्ष्कषण की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 15 दिवस के अन्दर कार्यलय की **Email Id- ankurai3005@gmail.com** पर प्रेषित करें। अन्यथा इसे जल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भूजल एक्ट-2019 / एन०ओ०सी०/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।

3–निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ के संज्ञानार्थ।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय हाइड्रोलॉजिस्ट/नोडल अधिकारी, ग्राउंड वाटर वेब पोर्टल गौतमबुद्धनगर।

OFFICE OF HYDROLOGIST/NODAL OFFICER, GROUND WATER WEB PORTAL

ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– 954 /भू0ज0वि0खं0/एक्ट–एन0ओ0सी0/गौतमबुद्धनगर दिनांकः 02/01/2025

स्थानः– M/s Escon Pride Villa (Promoters- M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd), Khasra No. 167,168, Vill- Birondi, Sector Pi-1&2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था पर बोरवैल **2–5 लाख तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास** अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवैल जुर्माने की धनराशि का दोगना **(10लाख तक)**, के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया हैं।

उक्त निर्माणाधीन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08–07–2024 के क्रम में निरिक्षण के क्रम में दिनांक 24–10–2024 को नोटिस संख्या–790 के द्वारा भूजल निष्कर्षण संबंधित अभिलेखों को 15 दिवसों के भीतर कार्यालय की Email Id- **ankita3091gwd@gmail.com** अथवा कार्यालय पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु उक्त परियोजना की ओर से कोई भी अभिलेख निर्धारित समयसीमा के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः इस क्रम में पुनः नोटिस द्वारा ये निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभिलेखों को 07 दिवसों के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करें। अन्यथा इसे भूजल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए सबमर्सिबल को सील किया जायेगा तथा जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही भी जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू0ज0वि0खं0/एक्ट–एन0ओ0सी/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।
3–क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

1248

कार्यालय हाइड्रोलॉजिस्ट/नोडल अधिकारी, ग्राउंड वाटर वेब पोर्टल गौतमबुद्धनगर।

OFFICE OF HYDROLOGIST/NODAL OFFICER, GROUND WATER WEB PORTAL

एठई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– 790 **/भू0ज0वि0खं0/एक्ट–एन0ओ0सी0/गौतमबुद्धनगर** **दिनांकः** 24/10/2024

स्थानः– M/s Escon Pride Villa (Promoters- M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd), Khasra No. 167,168, Vill- Birondi, Sector Pi-1&2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन एवं संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियमन 2019 प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा 39 के अंतगर्त भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था पर बोरवैल **2–5 लाख तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास** अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवैल जुर्माने की धनराशि का दोगना **(10लाख तक),** के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतगर्त समस्त भूजल उपभोगताओं को उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 30 दिनों के अंदर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अधिनियम के अंतगर्त उपभोगताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया हैं।

उक्त निर्माणाधीन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08–07–2024 के कम में निरिक्षण के कम में दिनांक 24–09–2024 को नोटिस संख्या–767 के द्वारा भूजल निष्कर्षण संबंधित अभिलेखों को 30 दिवसों के भीतर कार्यालय की Email Id- **ankita3091gwd@gmail.com** अथवा कार्यालय पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु उक्त परियोजना की ओर से कोई भी अभिलेख निर्धारित समयसीमा के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः इस कम में पुनः नोटिस द्वारा ये निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभिलेखों को 15 दिवसों के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करें। अन्यथा इसे भूजल का अवैध निष्कर्षण मानते हुए सबमर्सिबल को सील किया जायेगा तथा जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही भी जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू0ज0वि0खं0/एक्ट–एन0ओ0सी/तद्दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
2–मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के संज्ञानार्थ।
3–क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

Annexure 7

GPS Map Camera
Google
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
Jf4p+m8w, Shankar Vihar, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 203207, India
Lat 28.606566° Long 77.485754°
15/05/2025 02:09 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
Jf4p+m8w, Shankar Vihar, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 203207, India
Lat 28.606549° Long 77.485737°
15/05/2025 02:09 PM GMT +05:30

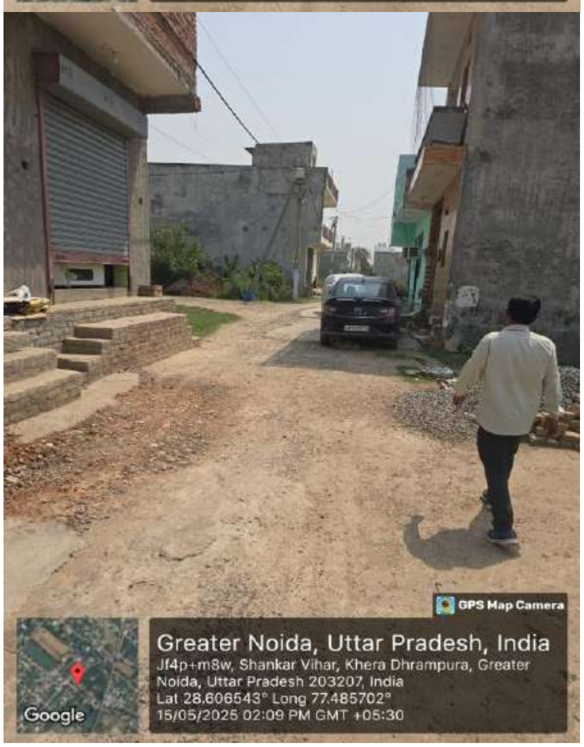
GPS Map Camera
Google
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
Jf4p+m8w, Shankar Vihar, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 203207, India
Lat 28.606543° Long 77.485702°
15/05/2025 02:09 PM GMT +05:30

1250

आवश्यक सूचना
कमल चौधरी-Mo.9312970616
वायु एन्कलेव-2 मे सम्पत्तियो (भूमि व घर)
की बिक्री व खरीद K.R.S. कार्यालय द्वारा
ही की जानी है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय
में सम्पर्क कर सकते हैं।
बाहर के डीलर व एजेन्ट के द्वारा लेन
देन व किसी भी विवाद व सम्पत्ति
कब्जे के लिए K.R.S. कार्यालय
जिम्मेदार नहीं होगा।
आज्ञा से
K.R.S. प्रोपर्टीज

GPS Map Camera
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
Jf4p+m8w, Shankar Vihar, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 203207, India
Lat 28.6069° Long 77.48576°
15/05/2025 02:07 PM GMT +05:30
Google

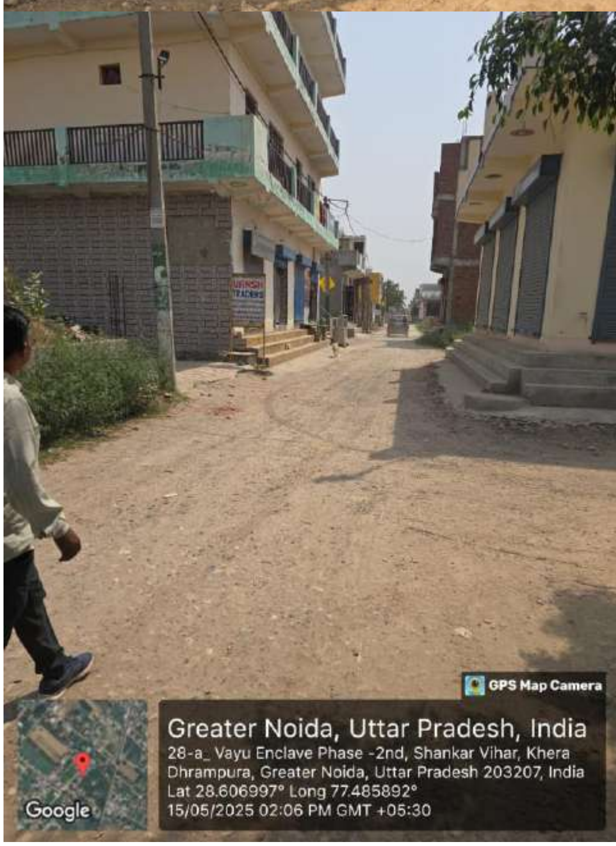
GPS Map Camera
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
28-a_ Vayu Enclave Phase -2nd, Shankar Vihar, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 203207, India
Lat 28.606997° Long 77.485892°
15/05/2025 02:06 PM GMT +05:30
Google

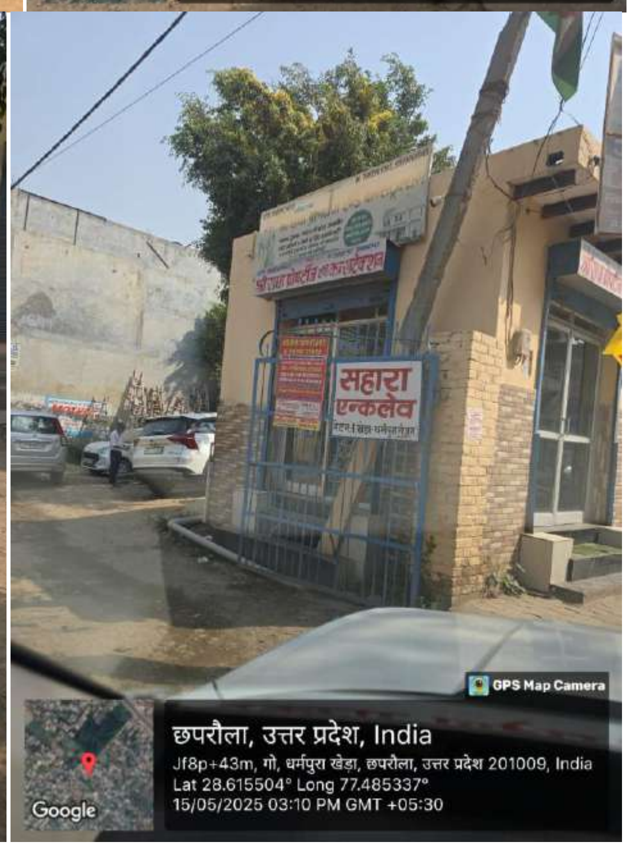
सहारा
एन्कलेव
GPS Map Camera
छपरौला, उत्तर प्रदेश, India
Jf8p+43m, गो, धर्मपुरा खेड़ा, छपरौला, उत्तर प्रदेश 201009, India
Lat 28.615504° Long 77.485337°
15/05/2025 03:10 PM GMT +05:30
Google

1251

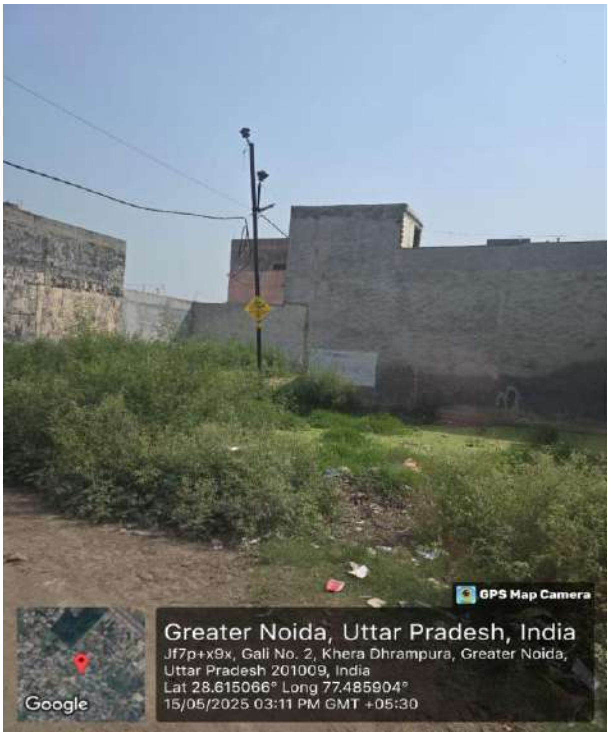
GPS Map Camera
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
Jf7p+x9x, Gali No. 2, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 201009, India
Lat 28.615066° Long 77.485904°
15/05/2025 03:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Greater Noida, Uttar Pradesh, India
Jf8p+35p, Khera Dhrampura, Greater Noida, Uttar Pradesh 201009, India
Lat 28.615328° Long 77.485555°
15/05/2025 03:11 PM GMT +05:30
Google

1252

Annexure 8

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT
ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतम

पत्रांकः– 129 /भू०ज०वि०/एक्ट (एनओसी)–25/गौतमबुद्धनगर   दिनांक 17/07/2025

विषयः- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा में किये जा रहे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण के सम्बधं में।

सत्या विला,
निकट शीशपाल नागर फार्म हाउस,
ग्राम-वेदपुरा, सैक्टर 10, ग्रेटर नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1668/79–वि–1–19–1(क)–14–19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–10/भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)/गौतमबुद्धनगर दिनांक 15/04/2025 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय–08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000/–) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि **"भूगर्भ जल निधि"** के लोक लेखा शीर्ष **8235002000400** में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए,साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बोरवेल द्वारा अवैध भूज़ल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)–23/गौतमबुद्धनगर   तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।
2– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

1253

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT

ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतम

पत्रांकः– 130/भू०ज०वि०/एक्ट (एनओसी)–25/गौतमबुद्धनगर दिनांक 17/07/2025

विषयः- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा में किये जा रहे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण के सम्बधं में।

कृष्णा अर्चिड विला,
ग्राम-वेदपुरा, सैक्टर 10, ग्रेटर नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1668/79–वि–1–19–1(क)–14–19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–11/भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)/गौतमबुद्धनगर दिनांक 15/04/2025 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय–08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000/–) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित **किए जाने की संस्तुति की जाती है।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि **"भूगर्भ जल निधि"** के लोक लेखा शीर्ष **8235002000400** में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए,साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बोरवेल द्वारा अवैध भूजल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता , भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)–23/गौतमबुद्धनगर तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।
2– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT
एई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतम

पत्रांकः– 131 / भू०ज०वि० / एक्ट (एनओसी)–25 / गौतमबुद्धनगर दिनांक 17/07/2025

विषयः- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा में किये जा रहे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण के सम्बधं में।

अर्श ग्रीन विला,
ग्राम-वेदपुरा, सैक्टर 10, ग्रेटर नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1668 / 79–वि–1–19–1(क)–14–19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–14 / भू०ज०वि० / एक्ट(एनओसी) / गौतमबुद्धनगर दिनांक 15 / 04 / 2025 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय–08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000 / –) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि **"भूगर्भ जल निधि"** के लोक लेखा शीर्ष **8235002000400** में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए,साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बोरवेल द्वारा अवैध भूजल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता , भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– / भू०ज०वि० / एक्ट(एनओसी)–23 / गौतमबुद्धनगर तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।

2– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा ।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT
ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतम

पत्रांकः– 132/भू०ज०वि०/एक्ट (एनओसी)–25/गौतमबुद्धनगर दिनांक 17/07/2025

विषयः- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा में किये जा रहे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण के सम्बधं में।

क्रीमसन विला,
सामने महागुण मंत्रा,
ग्राम-वेदपुरा, सैक्टर 10, ग्रेटर नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1668/79–वि–1–19–1(क)–14–19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–16/भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)/गौतमबुद्धनगर दिनांक 15/04/2025 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय–08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000/–) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि **"भूगर्भ जल निधि"** के लोक लेखा शीर्ष **8235002000400** में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए,साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बोरवेल द्वारा अवैध भूजल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)–23/गौतमबुद्धनगर तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।
2– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT
ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतम

पत्रांकः– 133 / भू०ज०वि० / एक्ट (एनओसी)–25 / गौतमबुद्धनगर दिनांक 17/07/2025

विषयः- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा में किये जा रहे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण के सम्बधं में ।

सिंधुजा ग्रीन्स विला,
ग्राम-वेदपुरा, सैक्टर 10, ग्रेटर नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1668/79–वि–1–19–1(क)–14–19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–17/भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)/गौतमबुद्धनगर दिनांक 15/04/2025 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय–08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000/–) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि **"भूगर्भ जल निधि"** के लोक लेखा शीर्ष **8235002000400** में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए,साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बोरवेल द्वारा अवैध भूजल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे|

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता , भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)–23/गौतमबुद्धनगर तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।
2– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा ।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग, खण्ड– गौतमबुद्धनगर।
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, , GROUND WATER DEPARTMENT
ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2, दादरी मेन रोड, ग्रे0 नोएडा, गौतम

पत्रांकः– 134/भू०ज०वि०/एक्ट (एनओसी)–25/गौतमबुद्धनगर दिनांक 17/07/2025

विषयः- विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा में किये जा रहे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण के सम्बधं में।

मै/स इस्कॉन प्राइड विला,
खसरा नंबर 167,168,ग्राम-बिरोण्डी,
सैक्टर Pi-1&2,ग्राम-वेदपुरा, सैक्टर 10, ग्रेटर नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1668/79–वि–1–19–1(क)–14–19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय–8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–954/भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)/गौतमबुद्धनगर दिनांक 02/01/2025 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अध्याय–08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रूपये (रू0 5,00,000/–) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि **"भूगर्भ जल निधि"** के लोक लेखा शीर्ष **8235002000400** में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए,साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बोरवेल द्वारा अवैध भूजल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता , भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– /भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)–23/गौतमबुद्धनगर तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।
2– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद
जनपद–गौतमबुद्धनगर